

भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण-पत्र

कार्यालय का नाम मंडेर
 प्रमाण-पत्र संख्या 0402/51/71/52000596/12/20/0068 दिनांक 12/3/2020
 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती सत्येंद्र कुमार
 पिता/पति का नाम रामजम रज माता का नाम राजि देवी
 ग्राम/मोहल्ला कुलवरिया पोस्ट कुलवरिया
 थाना मंडेर प्रखण्ड मंडेर जिला सारन प्रमण्डल सारन
 राज्य बिहार के हिन्दू/मुस्लिम धर्म अन्तर्गत अरि जाति के सदस्य हैं, जिसे निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- ① भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/93 बी०सी०सी० (सी०) दिनांक 10-9-1993 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-186, दिनांक 13-9-1993 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ② भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/9/94 बी०सी०सी० दिनांक 19-10-1994 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-163, दिनांक 20-10-1994 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ③ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/7/95 बी०सी०सी० दिनांक 24-5-1995 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-88, दिनांक 25-5-1995 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ④ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/96/94 बी०सी०सी० दिनांक 09-03-1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-60, दिनांक 11-03-1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑤ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/44/96 बी०सी०सी० दिनांक 6-12-1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210, दिनांक 11-12-1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑥ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/99/94 बी०सी०सी० दिनांक 11-12-1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-236, दिनांक 12-12-1997 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑦ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/13/97 बी०सी०सी० दिनांक 03-12-1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-239, दिनांक 17-12-1997 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑧ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/98 बी०सी०सी० दिनांक 27-10-1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-241, दिनांक 27-10-1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑨ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/88/98 बी०सी०सी० दिनांक 06-12-1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-270, दिनांक 06-12-1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑩ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/36/99 बी०सी०सी० दिनांक 04-04-2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-71, दिनांक 04-04-2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑪ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/44/99 बी०सी०सी० दिनांक 21-09-2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210, दिनांक 21-09-2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑫ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/09/2000 बी०सी०सी० दिनांक 06-12-2001 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-246, दिनांक 06-12-2001 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑬ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/01/2001 बी०सी०सी० दिनांक 19-06-2003 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-151, दिनांक 20-06-2003 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑭ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/4/2002 बी०सी०सी० दिनांक 13-01-2004 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-09, दिनांक 13-01-2004 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- ⑮ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/14/2004 बी०सी०सी० दिनांक 12-03-2007 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-67, दिनांक 12-03-2007 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती सत्येंद्र कुमार

एवं इनके परिवार सामान्यतः ग्राम/मोहल्ला कुलवरिया
 पोस्ट कुलवरिया थाना मंडेर प्रखण्ड मंडेर जिला सारन
 प्रमण्डल सारन राज्य बिहार के निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/21/93 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था० (आ०) दिनांक 09-03-2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था० (आ०) दिनांक 14-10-2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग 'ब्रिमी लेयर' के अन्तर्गत नहीं आते/आती हैं।

स्थान :
 दिनांक :



हस्ताक्षर एवं पदनाम
 (सह) सहित) बिहार राज्य